फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं

2023/63

रविशंकर बनाम गोपीराम वगै0

मुकदमा नम्बर :– 26/2023

वाद पत्र धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	30.05.2023	वकील वादी जितेन्द्रसिंह शेखावत ने वाद पत्र पेश किया। रिपोर्ट दफ्तर हो चुकी है। धारा 80(2) सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबीहेतु नोटिस जारी हो। पत्रावली बाद तलबी दिनांक 03.07.2023 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	
	03/7/23	प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे / अवकाश पर है। अत: अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 14/7/23 को पेश हो। [signature]	
	14/7/23	प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे / अवकाश पर है। अत: अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 17/7/23 को पेश हो। [signature]	
	17/7/23	[illegible] दिनांक 21/07/2023 [illegible] [signature]	
	21/7/23	वकील वादी उप०। प्रतिवादीगण को रजि० ए.डी. की रसीदें पूर्व से प्राप्त हो चुकी। जिनको एक माह से अधिक का समय हो चुका है प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अत: इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वकील वादी ने वाद को प्रा. डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का वाद इसके कब्जे रहवास/मकानात व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद डिक्री [signature]	

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

एवं वादपत्र प्राथमिक डिक्री किया जाता है
विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा०कि०
किया गया। तहसीलदार चौमू को कुर्रेजात
रिपोर्ट हेतु लिखा जाकर पत्रावली बराये
कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु दिनांक 26/7/23 को पेश
हो।

सहायक कलक्टर,
चौमूं (जयपुर)

26/7/23 वकील वादी उप०। वकील वादी ने मुताबिक
कुर्रेजात प्रस्ताव वाद अंतिम डिक्री हेतु
बहस सुनी गयी। पत्रावली
निरीक्षण किया। वाद मुताबिक कुर्रेजात
का अवलोकन किया गया। वाद
प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत
निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा०कि० किया
गया। अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली
फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर हो कर
दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–श्री राजेश जाखड़(R.A.S.)

उनवान

1. रविशंकर पुत्र जगदीश
2. मीरा पत्नी रविशंकर कुलदीप

समस्त जाति रैगर, निवासी एस–6, विद्याधर नगर जयपुर, जिला जयपुर।

–वादीगण–

बनाम

1. गोपीराम पुत्र नृसिंहराम
2. तीजा पुत्री नृसिंहराम
3. मक्खनलाल पुत्र बालूराम

समस्त जाति रैगर, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. नायब तहसीलदार गोविन्दगढ़, उपतहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।
6. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :–26/2023

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू श्री राजेश जाखड़ आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

विवादित भूमि वाके ग्राम अणतपुरा चिमनपुरा, पटवार हल्का अणतपुरा चिमनपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के खाता सं0 131 के खसरा नं0 1275 रकबा 0.23 है0, खसरा नं0 1276 रकबा 0.47 है0, खसरा नं0 1278 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 1279 रकबा 0.06 है0, कुल किता 4 का कुल रकबा 0.90 हैक्टेयर भूमि का मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 25.07.2023 के अनुसार निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता हैः–

1. गोपीराम पुत्र नृसिंहराम हिस्सा 903/2320, तीजा पुत्री नृसिंहराम हिस्सा 903/2320, मक्खनलाल पुत्र बालूराम हिस्सा 257/1160, जाति रैगर, सा0 उदयपुरिया खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1276/1 रकबा 0.0850 है0, खसरा नम्बर 1278/1 रकबा

0.0310 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.1160 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शायी गई है।

2. मीरा पत्नी रविशंकर कुलदीप हिस्सा 1/2, रविशंकर पुत्र जगदीश हिस्सा 1/2 जाति रैगर, सा0 नि0 एस–6 विद्याधर नगर, जयपुर खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1275 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 1276/2 रकबा 0.3850 है0, खसरा नम्बर 1278/2 रकबा 0.1090 है0, खसरा नम्बर 1279 रकबा 0.06 है0, कुल किता 4 का कुल रकबा 0.7840 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गई है।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 26.07.2023को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
दस्तखत...............
चौमू (जयपुर)
ओहदा.........................

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	4 2	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	0
जोड़	6	जोड़	0

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :—श्री राजेश जाखड़(R.A.S.)

उनवान

1. रविशंकर पुत्र जगदीश
2. मीरा पत्नी रविशंकर कुलदीप

समस्त जाति रैगर, निवासी एस—6, विद्याधर नगर जयपुर, जिला जयपुर।

—वादीगण—

बनाम

1. गोपीराम पुत्र नृसिंहराम
2. तीजा पुत्री नृसिंहराम
3. मक्खनलाल पुत्र बालूराम

समस्त जाति रैगर, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. नायब तहसीलदार गोविन्दगढ़, उपतहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।
6. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः—26.07.2023

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण को सुना गया। वकील वादीगण द्वारा वाद पत्र प्राथमिक डिक्री के अनुसार आए कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांकित 25.07.2023 के अनुसार वादपत्र को अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वादपत्र तकासमा का है व खातेदारों का रिकॉर्ड व मौके के अनुसार तकासमा किया जाना है। कुर्रेजात रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रेजात रिपोर्ट रिकॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 25.07.2023 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादग्रस्त भूमि एवं विवादित कृषि भूमि वाके ग्राम अणतपुरा चिमनपुरा, पटवार हल्का अणतपुरा चिमनपुरा, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के खाता सं0 131 के खसरा नं0 1275 रकबा 0.23 है0, खसरा नं0 1276 रकबा 0.47 है0, खसरा नं0 1278 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 1279 रकबा 0.06 है0, कुल किता 4 का कुल रकबा 0.90 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता हैः—

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

मु0सं0–26/2023
उनवान–रविशंकर बनाम गोपीराम वगै0
निर्णय दिनांकः–26.07.2023

1. गोपीराम पुत्र नृसिंहराम हिस्सा 903/2320, तीजा पुत्री नृसिंहराम हिस्सा 903/2320, मक्खनलाल पुत्र बालूराम हिस्सा 257/1160, जाति रैगर, सा0 उदयपुरिया खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1276/1 रकबा 0.0850 है0, खसरा नम्बर 1278/1 रकबा 0.0310 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.1160 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शायी गई है।
2. मीरा पत्नी रविशंकर कुलदीप हिस्सा 1/2, रविशंकर पुत्र जगदीश हिस्सा 1/2 जाति रैगर; सा0 नि0 एस–6 विद्याधर नगर, जयपुर खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 1275 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 1276/2 रकबा 0.3850 है0, खसरा नम्बर 1278/2 रकबा 0.1090 है0, खसरा नम्बर 1279 रकबा 0.06 है0, कुल किता 4 का कुल रकबा 0.7840 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गई है।

अंतिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री व निर्णय का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालयमें सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
चौमूं